

UPSI040122822023



न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03 सीतापुर।

उपस्थित- श्री रंजीत कुमार जायसवाल, (उ०प्र ० न्यायिक सेवा ) - UP03535

Bail Application/1310/2023

Ram Sagar and othesr Vs. Uttar Pradesh Sarkar

धारा-323,325,504,506 भा०दं०सं०

मु०अ०सं०- 178/2022

थाना- पिसावाँ, जिला-सीतापुर।

दिनांक-21.02.2023

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

आवेदकगण/अभियुक्तगण रामसागर, कपिल कुमार, विमलेश कुमार व परमेन्द्र सिंह सर्व निवासीगण ग्राम सेजकला थाना पिसावाँ जिला सीतापुर की ओर से मु०अ०सं०- 178/2022 अंतर्गत धारा-323,325,504,506 भा०दं०सं०, थाना पिसावाँ, जिला सीतापुर में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण पश्चात् न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्तगण की ओर से जमानत में यह आधार लिया गया है कि अभियुक्तगण को उक्त वाद में झूठा रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं वह पूर्ण रूप से असत्य एवं निराधार है। उपरोक्त वाद में वर्णित धारा जमानतीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। अभियुक्तगण का उपरोक्त घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण जमानत देने को तैयार हैं। उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पुलिस थाना पिसावाँ द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध मु०अ०सं०-178/2022 अंतर्गत धारा-323,325,504,506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मामला गम्भीर प्रकृति का नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण रामसागर, कपिल कुमार, विमलेश कुमार व परमेन्द्र सिंह सर्व निवासीगण ग्राम सेजकला थाना पिसावाँ जिला सीतापुर की ओर से मु०अ०सं०- 178/2022 अंतर्गत धारा-323,325,504,506 भा०दं०सं०, थाना पिसावाँ, जिला सीतापुर में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को उनके द्वारा 20-20 हजार रुपये का निजी बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

Date : 21-02-2023

(Ranjeet Kumar Jaiswal)

3rd Additional Civil Judge Junior Division

Sitapur, Sitapur

श्रेया/-